प्रेस विज्ञप्ति

07.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने 05.09.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, मेसर्स एआरजी लिमिटेड, मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और मेसर्स कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अरविंद धाम, प्रमोटर एमटेक ग्रुप और अन्य के मामले में 5,115.31 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाकर बैंक ऋणों को अवैध रूप से डायवर्ट करने के आरोपों पर आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा की गई शिकायतों से उत्पन्न सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27.02.2024 को मेसर्स एमटेक ऑटो समूह की कंपनियों के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को एमटेक ऑटो समूह द्वारा 27,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले की जांच करने का निर्देश दिया। माननीय न्यायालय ने सार्वजनिक धन के डायवर्जन के बारे में चिंता व्यक्त की, ईडी द्वारा एक व्यापक जांच की आवश्यकता पर बल दिया, भले ही संबंधित बैंकों ने खातों का निपटान कर दिया हो।

ईडी की जांच से पता चला कि समूह की कंपनियों मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, मेसर्स एआरजी लिमिटेड, मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और मेसर्स कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ-साथ समूह की अन्य कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया गया था, जिसके समाधान के कारण बैंकों को 80% से अधिक का भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारी नुकसान हुआ। ईडी की जांच से पता चला कि समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से अतिरिक्त धोखाधड़ी वाले ऋण प्राप्त करने और खातों की पुस्तकों में फर्जी संपत्ति और निवेश बनाने के लिए हेरफेर किया गया था।

ईडी ने जून, 2024 में तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप 500 से अधिक शेल कंपनियों के एक जटिल जाल का पता चला, जिनका इस्तेमाल समूह द्वारा उच्च मूल्य वाली रियल एस्टेट और लग्जरी संपत्तियों को रखने और उनमें निवेश करने के लिए किया गया था, जिनकी शेयरधारिता एक "अत्यधिक जटिल शेयरधारिता संरचना" में छिपी हुई थी। ये शेल कंपनियाँ ऐसी संपत्तियाँ रखती थीं, जिनका लाभकारी स्वामित्व अरविंद धाम के पास था, जो मेसर्स एमटेक ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के मुख्य प्रमोटर और लाभकारी मालिक हैं और पाया गया कि वे उन संपत्तियों को अलग कर रहे थे/स्थानांतरित कर रहे थे। इसलिए, ईडी ने 09.07.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एमटेक ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के प्रमोटर अरविंद धाम को गिरफ्तार कर लिया।

भारत के 13 अलग-अलग राज्यों में फैली 2,674.75 करोड़ की संपत्ति जिसमें दिल्ली में प्रमुख स्थानों पर बड़ी व्यावसायिक संपत्तियां और फार्म हाउस, महाराष्ट्र में 200 हेक्टेयर भूमि, गुड़गांव, चंडीगढ़, रेवाड़ी और पंचकूला सहित हरियाणा और पंजाब में सैकड़ों एकड़ भूमि, औद्योगिक भूमि, कृषि भूमि, आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियां, फ्लैट शामिल हैं। इसके अलावा, कुर्की में चल संपत्ति भी शामिल है, जिसमें सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों कंपनियों में 2,353.46 करोड़ रुपये के शेयर शामिल हैं। इनमें से कुछ कंपनियों में एलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड, न्यूटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रोलाटेनर्स लिमिटेड, अधभुत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गॉरमेट गेटवे लिमिटेड, बरिस्ता कॉफी कंपनी लिमिटेड, बीएस इस्पात लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा, 87.10 करोड़ रुपये के डिबेंचर भी कुर्क किए गए हैं। इन सभी संपत्तियों की पहचान अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में की गई है और ये अरविंद धाम के लाभकारी स्वामित्व वाली कई कंपनियों के माध्यम से रखी गई हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।